## अध्याय IV

## 4. व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप

राज्य की सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के व्यवहारों की नमूना जाँच के फलस्वरूप ज्ञात हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

## सरकारी कम्पनियाँ

## अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### *4.1 अतार्किक मूल्य विचलन फार्मूला के कारण हानि*

**अविविनिलि एवं जविविनिलि द्वारा स्टील हेतु निर्धारित फार्मूले के स्थान पर अल्यूमिनियम ट्रांसफॉर्मर्स हेतु निर्धारित मूल्य विचलन फार्मूले के आधार पर मीटर बॉक्स पर मूल्य विचलन प्रदान किये जाने के कारण ₹ 78.02 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।**

विद्युत कम्पनियाँ, कच्चे माल की मौलिक दरों में निविदा की अवधि से आपूर्ति की तिथि तक विचलन हेतु आपूर्तिकर्ताओं के दावों के निपटान हेतु, आईईईएमए[1] मूल्य विचलन (पीवी) वाक्यांशों का उपयोग करती हैं। मूल्य विचलन वाक्यांश, कच्चे माल के मूल्य के दिये गये फार्मूले में उचित प्रतिस्थापन द्वारा मूल्यों में दोनों तरफ, या तो ऊपर अथवा नीचे, विचलन प्रदान करता है।

राजस्थान की विद्युत वितरण कम्पनियों[2] (डिस्कॉम्स) ने वितरण ट्रांसफॉर्मर एवं मीटर बॉक्स को एक इकाई के रूप में मानने का निर्णय किया (जनवरी/फरवरी 2011)। इस प्रकार मीटर बॉक्स का मूल्य, मूल्य विचलन अनुमत्य किये जाने हेतु परिवर्तनशील बनाया गया था एवं ट्रांसफॉर्मर की लागत में सम्मिलित किया गया। यह निर्णय स्टील के मूल्यों में बार-बार होने वाले परिवर्तनों से उबरने हेतु 'राजस्थान ट्रांसफॉर्मर निर्माता संघ' के अभ्यावेदन पर लिया गया था (29 जनवरी 2011)। इस निर्णय के पूर्व, डिस्कॉम्स ट्रांसफॉर्मर्स एवं मीटर बॉक्स का प्रापण पृथक इकाईयों के रूप में करते थे। ट्रांसफॉर्मर्स का मूल्य आईईईएमए के मूल्य विचलन फार्मूला[3] के अनुसार परिवर्तनशील था जबकि मीटर बॉक्स का मूल्य स्थिर था क्योंकि आईईईएमए ने मीटर बॉक्स हेतु कोई मूल्य विचलन फार्मूला निर्धारित नहीं किया था।

हमने पाया (मार्च 2013) कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनिलि) ने तीनों डिस्कॉम्स की तरफ से, 16 केवीए अल्यूमिनियम बंधित चार सितारा श्रेणी के 87473 वितरण

---

1 इंडियन इलैक्ट्रीकल्स एवं इलैक्ट्रोनिक्स मैन्युफेक्चर्स एसोसियेशन।

2 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अविविनिलि), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनिलि) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोविविनिलि)।

3 $पी_{ओ}$/100(13+15एएल/$एएल_{ओ}$+42ईएस/$ईएस_{ओ}$+10आईएस/$आईएस_{ओ}$+2आईएम/$आईएम_{ओ}$+6टीओ /$टीओ_{ओ}$+12डब्ल्यू/$डब्ल्यू_{ओ}$)।

ट्रांसफॉर्मर्स मीटर बॉक्स सहित क्रय करने हेतु निविदा (टीएन-2138) आमंत्रित की (अप्रैल 2011)। आपूर्तिकर्ताओं के लिये दोनों मदों (ट्रांसफॉर्मर एवं मीटर बॉक्स) की एक दर उद्दृत करना अनिवार्य था एवं उद्दृत मूल्य, आईईईएमए के मूल्य विचलन फार्मूला के अनुसार, बिना किसी सीमा के, परिवर्तनशील थी। मूल्य निविदायें खोली गई (सितम्बर 2011) जिसमें प्रति इकाई न्यूनतम उद्दृत मूल्य ₹ 38525 था। तथापि, निगम स्तरीय क्रय समिति ने इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर्स की प्रथम बार क्रय को दृष्टिगत रखते हुये ट्रांसफॉर्मर्स एवं मीटर बॉक्स की अनुमानित लागत का आंकलन करने हेतु आंतरिक लागत विश्लेषण किये जाने का निर्णय लिया (15 सितम्बर 2011)। आंतरिक विश्लेषण में प्रति इकाई लागत ₹ 37795 आंकी गई जिसमें मीटर बॉक्स की लागत ₹ 2700 सम्मिलित थी। बोलीदाताओं द्वारा आंतरिक दरों को स्वीकार किये जाने पर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अविविनिलि ) ने 22741 ट्रांसफॉर्मर्स (10741 ट्रांसफॉर्मर्स के पुनः आदेश सहित) के क्रयादेश प्रदान किये (नवम्बर 2011/दिसम्बर 2012) एवं जविविनिलि ने 66773 ट्रांसफॉर्मर्स के क्रयादेश प्रदान किये (नवम्बर 2011)। कुल आदेशित मात्रा के समक्ष अविविनिलि ने मार्च 2013 तक 20728 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति प्राप्त की जबकि जविविनिलि ने नवम्बर 2011 से जनवरी 2013 तक की अवधि के दौरान 47104 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति प्राप्त की। अविविनिलि एवं जविविनिलि दोनों ने आपूर्तिकर्ताओं को ट्रांसफॉर्मर एवं मीटर बॉक्स की सम्मिश्रित मूल्य पर, अल्यूमिनियम ट्रांसफॉर्मर्स हेतु निर्धारित मूल्य विचलन फार्मूला के अनुसार प्रयोज्य मूल्य विचलन भी अनुमत्य किया।

हमने देखा कि सम्मिश्रित मूल्य पर मूल्य विचलन अनुमत्य किये जाने का डिस्कॉम्स का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि यह केवल अल्यूमिनियम बंधित ट्रांसफॉर्मर्स हेतु लागू एवं निर्धारित था। समिति ने इस तथ्य को अनदेखा किया कि मूल्य विचलन फार्मूला अल्यूमिनियम, ट्रांसफॉर्मर्स तेल एवं अन्य घटक,जो कि मीटर बॉक्स के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होते हैं, के मूल्यों में वृद्धि/कमी हेतु व्यवस्था प्रदान करता है। निर्माता संघ की चिंताओं को ध्यान में रखते हुये, समिति को स्टील निर्माण हेतु निर्धारित मूल्य विचलन फार्मूला[4] के अनुसार मूल्य विचलन अनुमत्य किया जाना चाहिये था क्योंकि यह ही मीटर बॉक्स के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।

अल्यूमिनियम बंधित ट्रांसफॉर्मर्स हेतु निर्धारित मूल्य विचलन फार्मूला के अनुसार, मीटर बॉक्स पर मूल्य विचलन अनुमत्य किये जाने के निर्णय से आपूर्तिकर्ताओं को, मीटर बॉक्स के निर्माण हेतु उपभोग किये गये स्टील पर न्यायोचित देय मूल्य विचलन को ध्यान में रखने के पश्चात् भी, आपूरित मात्रा पर ₹ 78.02 लाख[5] का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सरकार/प्रबन्धन ने जविविनिलि के सम्बन्ध में कहा (जून/नवम्बर 2013) कि ट्रांसफॉर्मर्स हेतु मूल्य विचलन फार्मूला में 17 प्रतिशत लौह धातु तत्व सम्मिलित है एवं ट्रांसफॉर्मर्स की लागत में मीटर बॉक्स का मूल्य, जब लौह धातु मूल्य विचलन अनुमत्य किये जाने हेतु फार्मूला में सम्बद्ध तत्व हो, शामिल किये जाने से कोई हानि नहीं है। अविविनिलि के प्रबन्धन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2013) कि आईईईएमए ने मीटर संरक्षण बॉक्स के लिये कोई फार्मूला जारी नहीं किया है एवं डिस्कॉम्स की साधारण स्पेशीफिकेशन समिति ने मीटर बॉक्स को ट्रांसफॉर्मर्स का सम्बद्ध भाग मानते हुये, मीटर बॉक्स एवं ट्रांसफॉर्मर्स पर मूल्य विचलन अनुमत्य किया। उत्तर

4 $पी_{ओ}$ (0.11+0.66(एसबीआई/$एसबीआई_{ओ}$)+0.23 (एल/$एल_{ओ}$)।

5 अविविनिलि ₹ 15.19 लाख एवं जविविनिलि ₹ 62.83 लाख।

सहमतिकारक नहीं है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स में प्रयुक्त लौह धातु, मीटर बॉक्स में उपयोग किये जाने वाले स्टील से भिन्न होती है। यदि जविविनिलि के दृष्टिकोण पर विचार किया जाये तब भी डिस्कॉम्स मीटर बॉक्स के निर्माण में प्रयुक्त नहीं की गई 83 प्रतिशत सामग्री पर अनावश्यक रूप से मूल्य विचलन का भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा, इस निविदा से पूर्व डिस्कॉम्स ट्रांसफॉर्मर्स एवं मीटर संरक्षण बॉक्स को पृथक मदों के रूप में क्रय कर रहे थे।

## छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड

### *4.2 तापमान विचरण समायोजन वाक्यांश के सम्मिलित नहीं किये जाने से हानि*

**आपूर्ति आदेशों में तापमान विचरण समायोजन वाक्यांश के सम्मिलित नहीं किये जाने से कम्पनी ने ₹ 33.51 लाख की न्यूनतम हानि वहन की।**

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (राराविउनिलि) की सहायक कम्पनी, छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (कम्पनी), इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) से फर्नेस ऑयल[6] का प्रापण करती है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान कम्पनी ने इन ऑयल कम्पनियों से 20033.06 किलोलीटर[7] फर्नेस ऑयल का प्रापण किया।

फर्नेस ऑयल अत्यधिक गाढ़ा होता है एवं इस कारण इसके बहाव में सुधार हेतु शोधनशालाओं द्वारा इसका भराव गरम करके (फर्नेस ऑयल का भराव, सामान्य भराव तापमान से अधिक तापमान पर किया जाता है) किया जाता है। फर्नेस ऑयल की आपूर्ति आयतन के आधार पर की जाती है एवं गरम लदान की परिणीति आयतन का विस्तार के साथ ठंडा होने पर संकुचित होती है। इस विचलन से उबरने एवं प्राप्तकर्ता को अनावश्यक हानि नहीं होने देने हेतु तेल कम्पनियाँ बीजकों में तापमान विचरण समायोजन (टीवीए) का लाभ प्रदान करती है।

हमारी जाँच में विदित हुआ (फरवरी 2013) कि कम्पनी ने आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल को जारी किये गये आपूर्ति आदेशों में इस प्रकार का कोई वाक्यांश सम्मिलित नहीं किया था यद्यपि राराविउनिलि द्वारा सूरतगढ़ सुपर तापीय विद्युत स्टेशन (एसएसटीपीएस) पर आपूर्ति के मामले में जारी किये गये आपूर्ति आदेशों में यह सम्मिलित किया गया था। साथ ही, टीवीए एक सामान्य अवधारणा है परन्तु तेल कम्पनियों ने (एचपीसीएल के सिवाय) न तो बीजकों में लदान तापमान बताने वाले जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये न हीं बीजकों में टीवीए अनुमत्य किया जैसा कि एसएसटीपीएस को की गई आपूर्तियों पर दिया गया था। एचपीसीएल द्वारा प्रस्तुत टीवीए के जाँच प्रतिवेदन/प्रमाण-पत्र अपूर्ण थे एवं उनमें लदान के समय के तापमान का उल्लेख नहीं किया गया था।

तथापि, आईओसीएल के मामले में हमने पाया कि आपूर्ति कोयली एवं मथुरा शोधनशाला से की

6 फर्नेस ऑयल एक गरिष्ठ ईंधन ऑयल (एचएफओ) है एवं नियंत्रक विस्फोटक के वर्गीकरण के अनुसार 'सी' श्रेणी वर्ग में आता है।

7 आईओसीएल-5816.03 किलोलीटर, बीपीसीएल-2881.18 किलोलीटर एवं एचपीसीएल-11335.85 किलोलीटर।

गई थी जहाँ पर फर्नेस ऑयल गरम करके लादा गया था एवं आईओसीएल ने एसएसटीपीएस को 3.17 से 3.49 प्रतिशत के मध्य टीवीए अनुमत्य किया था। न्यूनतम टीवीए 3.17 प्रतिशत, जैसा कि आईओसीएल द्वारा एसएसटीपीएस को अनुमत्य किया गया, को ध्यान में रखते हुये, कम्पनी को कोयली एवं मथुरा शोधनशाला से इसे आपूर्ति किये गये 5816.03 किलोलीटर (₹ 21.56 करोड़) फर्नेस ऑयल पर न्यूनतम ₹ 68.36 लाख[8] की हानि वहन करनी पड़ी। अपूर्ण प्रतिवेदनों/जाँच प्रतिवेदनों के अभाव में हम बीपीसीएल एवं एचपीसीएल से प्राप्त आपूर्तिओं पर टीवीए की प्रयोज्यता/हानि का आंकलन नहीं कर सके।

हमारे द्वारा ध्यान आकर्षित किये जाने के पश्चात् कम्पनी ने इस मुद्दे को आपूर्तिकर्ताओं के समक्ष उठाया (मई 2013)। आईओसीएल ने इसकी कोयली शोधनशाला से की गई आपूर्ति पर हमारे द्वारा आंकलित ₹ 34.85 लाख के समक्ष ₹ 22.74 लाख की क्रेडिट प्रदान की। मथुरा शोधनशाला से की गई आपूर्ति हेतु ₹ 33.51 लाख का टीवीए समायोजन लम्बित था (नवम्बर 2013)। अन्य आपूर्तिकर्ताओं ने हानि हेतु क्षतिपूर्ति नहीं दी थी एवं कहा कि कोई टीवीए लागू नहीं था क्योंकि लदान उपयुक्त तापमान पर किया गया था।

सरकार/प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा (सितम्बर/अगस्त 2013) कि आईओसीएल (मथुरा शोधनशाला) से की गई आपूर्तिओं का मामला उनके पास विचाराधीन था। तथापि, प्रबन्धन ने आईओसीएल से गणना का आधार एवं बीपीसीएल व एचपीसीएल से जाँच प्रतिवेदन नहीं मांगे थे।

## जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### *4.3 मूल्य विचलन के पेटे आधिक्य भुगतान*

**कम्पनी द्वारा जनवरी 2012 माह हेतु संशोधित मूल्य विचलन, मूल्य विचलन फार्मूले के अनुसार अनुमत्य नहीं किये जाने से मूल्य विचलन के पेटे ₹ 1.03 करोड़ का आधिक्य भुगतान हुआ।**

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने वर्ष 2011-12 के दौरान 33 केवी तक के चार सितारा श्रेणी के अल्यूमिनियम बंधित वितरण ट्रांसफॉर्मर्स के क्रय हेतु 34 क्रयादेश (टी.एन.2138 के अन्तर्गत) कई वितरकों को विभिन्न दिनांकों पर प्रदान किये। क्रयादेश के नियमों व शर्तों में वर्णित था कि मूल्य आईईईएमए[9] द्वारा निर्धारित मूल्य विचलन (पीवी) फार्मूले के अनुसार परिवर्तनशील थे एवं मूल्य विचलन फार्मूले में परिवर्तन के मामले में मूल्य विचलन हेतु वही लागू होगा। आईईईएमए ने ''बीईई तीन सितारा एवं उससे ऊपर'' श्रेणीबद्ध अल्यूमिनियम व ताँबा बंधित 33 केवी तक के वितरण ट्रांसफॉर्मर्स हेतु मूल्य विचलन फार्मूला संशोधित किया (मार्च 2012)। संशोधित फार्मूले 1 जनवरी 2012 से लागू[10] किये गये थे।

---

8 कोयली शोधनशाला से ₹ 34.85 लाख (2939.75 किलोलीटर x ₹ 37395.30 प्रति किलोलीटर x 3.17/100) एवं मथुरा शोधनशाला से ₹ 33.51 लाख (2876.28 किलोलीटर x ₹ 36750 प्रति किलोलीटर x 3.17/100)।

9 इंडियन इलैक्ट्रीकल्स एवं इलैक्ट्रोनिक्स मैन्युफेक्चर्स एसोसियेशन।

10 आईईईएमए द्वारा जनवरी 2012 में मसौदा फार्मूला एसईबीएस/उपक्रमों एवं सूचीबद्ध क्रय संगठनों को विचार एवं टिप्पणियों हेतु परिचालित किये गये थे। तथापि ,किसी प्रतिकूल टिप्पणियों के न होने को देखते हुये यह 1 जनवरी 2012 से लागू किये गये थे।

अभिलेखों की हमारी जाँच (अप्रैल 2013) से विदित हुआ कि कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं को माह फरवरी 2012 से संशोधित फार्मूला के आधार पर मूल्य विचलन इस तर्क पर अनुमत्य किया कि आईईईएमए ने नये सूचकांक 1 जनवरी 2012 से लागू कर जारी किये एवं तदनुसार मूल्य विचलन दिये जाने हेतु लागू माह फरवरी 2012 होगा। हमने देखा कि कम्पनी का यह तर्क सही नहीं था क्योंकि आईईईएमए ने संशोधित फार्मूला में केवल गुणांक कारकों में परिवर्तन[11] किया था जबकि सूचकांकों में कोई परिवर्तन नहीं था। साथ ही, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इसी निविदा के तहत कार्यादेश जारी किये थे एवं हमारे द्वारा इंगित किये जाने (अप्रैल 2013) के पश्चात् इसने जनवरी माह हेतु किये गये मूल्य विचलन के पेटे ₹ 14.60 लाख के आधिक्य भुगतान की वसूली की थी (जून 2013)।

कम्पनी द्वारा जनवरी 2012 माह हेतु मूल्य विचलन संशोधित मूल्य विचलन फार्मूला के अनुसार अनुमत्य नहीं किये जाने से 9058 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति पर मूल्य विचलन के पेटे ₹ 1.03 करोड़ का आधिक्य भुगतान हुआ।

प्रबन्धन/सरकार ने उत्तर (अक्टूबर/अगस्त 2013) में अपने तर्क को दोहराया कि आईईईएमए ने नये सूचकांक 1 जनवरी 2012 से परिचालित किये थे अतः इन सूचकांकों हेतु प्रस्ताव माह फरवरी 2012 माना गया था। तथापि, अविविनिलि लेखापरीक्षा दृष्टिकोण से सहमत हुआ एवं 1 जनवरी 2012 से संशोधित फार्मूला लागू किया जैसा कि पहले ही ऊपर वर्णित किया गया है।

### *4.4 अल्पावधि विद्युत का उच्च कीमत पर क्रय*

**आरडीपीपीसी द्वारा एचजेडएल के प्रस्ताव पर समयोचित कार्यवाही नहीं करने एवं तत्पश्चात् एचजेडएल से उच्च लागत की विद्युत क्रय करने के कारण ₹ 26.43 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।**

रबी के मौसम के दौरान विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु, राजस्थान डिस्कॉम्स विद्युत प्रापण केन्द्र (आरडीपीपीसी) ने विभिन्न व्यापारिक अनुज्ञापत्रधारियों/उत्पादकों/राज्य उपक्रमों/सीपीपी[12]/वितरण अनुज्ञापत्रधारियों/एसईबी[13] से 1 नवम्बर 2011 अथवा उसके पश्चात् किसी तिथि से प्रारम्भ होकर 31 मार्च 2012 तक अल्पकालिक दैनिक विद्युत (0600-1700 घंटे) स्थिर दर के आधार पर क्रय करने हेतु निविदाएं आमन्त्रित (22 जून 2011) की। एक ही स्रोत से प्रस्तावित न्यूनतम मात्रा, राज्य से बाहर स्थित उत्पादकों के मामले में 5 मेगावाट एवं राजस्थान के भीतर स्थित उत्पादकों हेतु 1 मेगावाट थी। प्रत्युत्तर में, 10 बोलीदाताओं ने विभिन्न महीनों के लिये आपूर्ति की विविध मात्रा हेतु ₹ 4.60 एवं ₹ 9.40 प्रति इकाई के मध्य विचरित दरों के प्रस्ताव दिये (निविदाएं 11 जुलाई 2011 को खोली गई)।

हमने पाया (नवम्बर 2012) कि आरडीपीपीसी ने बोलीदाताओं के साथ मोलभाव किया (21

11 अल्यूमिनियम बन्धित वितरण ट्रांसफार्मर्स पर मूल्य विचलन अनुमत्य किये जाने हेतु पुराना फार्मूला था पी=पी$_{ओ}$/100(13+15एएल/एएल$_{ओ}$+42ईएस/ईएस$_{ओ}$+10एफई/एफई$_{ओ}$+2आईएम/आईएम$_{ओ}$+6टीओ/टीओ$_{ओ}$+12डब्ल्यू/डब्ल्यू$_{ओ}$) जबकि नया फार्मूला था पी=पी$_{ओ}$/100(12 +18एएल/एएल$_{ओ}$ +26ईएस/ईएस$_{ओ}$ + 17एफई/एफई$_{ओ}$+4आईएम/आईएम$_{ओ}$+12टीओ/टीओ$_{ओ}$+11डब्ल्यू/डब्ल्यू$_{ओ}$)।

12 कैप्टिव पावर संयंत्र।

13 राज्य विद्युत मण्डल।

जुलाई 2011) एवं ₹ 3.50 प्रति इकाई की दर का प्रस्ताव दिया। बोलीदाताओं को 3 अगस्त 2011 तक संशोधित प्रस्ताव देने हेतु पत्र भी निर्गमित किये गये थे (27 जुलाई 2011)। तथापि, केवल एक बोलीदाता, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) ने ₹ 3.50 प्रति इकाई की दर से 3 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करने हेतु प्रस्ताव (3 अगस्त 2011) दिया। एचजेडएल का प्रस्ताव 10 अगस्त 2011 तक वैध था।

अभिलेखों की हमारी जाँच से विदित हुआ कि एचजेडएल का प्रस्ताव 3 अगस्त 2011 को प्राप्त हुआ था लेकिन प्रस्ताव की वैधता के दौरान कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। मामला विलम्ब से 19 अगस्त 2011 को अध्यक्ष डिस्कॉम्स के समक्ष रखा गया जिसने मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी) से विचार-विमर्श के पश्चात् (5 सितम्बर 2011) सभी बोलीदाताओं को ₹ 3.75 प्रति इकाई की दर का प्रस्ताव देने हेतु निर्देशित किया। दरें सभी बोलीदाताओं को प्रस्तावित की गई थी (6 सितम्बर 2011) परन्तु कोई भी बोलीदाता प्रस्तावित दर पर सहमत नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, आरडीपीपीसी ने रबी मौसम के दौरान विद्युत कमी की पूर्ति हेतु अध्यक्ष डिस्कॉम्स के निर्देशों पर 13 अक्टूबर 2011 से 22 नवम्बर 2011 की अवधि के दौरान प्रति प्रस्ताव में तीन[14] बार वृद्धि की। सभी प्रति प्रस्तावों पर प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, सिवाय ₹ 4.15 प्रति इकाई के एक अन्तिम प्रति प्रस्ताव को छोड़कर, जिसमें एचजेडएल ने दिसम्बर 2011 माह के दौरान 30 मेगावाट दैनिक विद्युत की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया (5 दिसम्बर 2011)। आरडीपीपीसी ने एचजेडएल के प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं 9 दिसम्बर 2011 से 31 दिसम्बर 2011 के दौरान उक्त दरों पर 30 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति हेतु आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था (7 दिसम्बर 2011)। तत्पश्चात्, आरडीपीपीसी ने पुनः विद्युत कमी की पूर्ति हेतु, एचजेडएल के अगले प्रस्ताव[15] को स्वीकार किया (19 दिसम्बर 2011) एवं बोलीदाताओं के साथ भी मोलभाव[16] किया (3 जनवरी 2012) तथा ₹ 4.15 प्रति इकाई व ₹ 4.25 प्रति इकाई की दर से विद्युत क्रय की।

हमने देखा कि आरडीपीपीसी ने विभिन्न वार्तालापों एवं विभिन्न दरों पर प्रति प्रस्तावों के पश्चात् ₹ 4.15 प्रति इकाई (9 दिसम्बर 2011 से 31 जनवरी 2012 तक) एवं ₹ 4.25 प्रति इकाई (जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक) की दरों से विद्युत क्रय की। यदि ₹ 3.50 प्रति इकाई की दर से 3 मेगावाट दैनिक विद्युत के क्रय हेतु एचजेडएल के प्रस्ताव पर समायोचित कार्यवाही की गई होती, डिस्कॉम्स विद्युत के क्रय पर ₹ 26.43 लाख[17] के अतिरिक्त व्यय को टाल सकते थे।

सरकार/प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि गम्भीर वित्तीय संकट के कारण, एचजेडएल से विद्युत क्रय नहीं की जा सकी। अतिरिक्त विद्युत अक्टूबर 2011 माह में सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होने के पश्चात् ही क्रय की गई थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि 1

---

14 ₹ 4.00 प्रति इकाई (13 अक्टूबर 2011), ₹ 4.10 प्रति इकाई (17 नवम्बर 2011) एवं ₹ 4.15 प्रति इकाई (22 नवम्बर 2011)

15 एचजेडएल ने दिसम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 के दौरान क्रमशः 15 मेगावाट एवं 30 मेगावाट की आपूर्ति ₹ 4.15 प्रति इकाई की दर से करने हेतु प्रस्ताव दिया (17 दिसम्बर 2011)।

16 आरडीपीपीसी ने 3 जनवरी 2012 को बोलीदाताओं के साथ वार्तालाप की एवं ₹ 4.25 प्रति इकाई की दर से प्रस्ताव दिया। दर एचजेडएल एवं पीटीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा जनवरी से मार्च 2012 के दौरान आपूर्ति हेतु स्वीकार की गई थी।

17 3 मेगावाट×1000×54दिन×11 घंटे×(₹ 4.15 - ₹ 3.50) प्रति इकाई *जोड़ें* 3 मेगावाट×1000× 60दिन × 11 घंटे × (₹ 4.25 - ₹ 3.50) प्रति इकाई।

नवम्बर 2011 से विद्युत की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी एवं आरडीपीपीसी ने सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने से पहले, एचजेडएल की तुलना में बढ़ी हुई दर से (₹ 3.75 प्रति इकाई) प्रस्ताव दिये थे (5 सितम्बर 2011)।

## जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

### *4.5 सुरक्षा निधि की वार्षिक समीक्षा में प्रणालीगत दोष*

**कम्पनी ने सुरक्षा निधि की पर्याप्तता की वार्षिक समीक्षा नहीं की जिसके कारण तीन वृत्तों में उपभोक्ताओं की चयनित श्रेणियों में ₹ 18.05 करोड़ की कमी रही।**

''विद्युत की आपूर्ति के लिये नियम एवं शर्तें -2004'' (टीसीओएस) की धारा 16 (डी) में आपूरित विद्युत के सम्बन्ध में सुरक्षा राशि की वार्षिक समीक्षा हेतु प्रावधान है। इस धारा में प्रावधान है कि डिस्कॉम्स वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, पिछले बारह महीनों के दौरान विद्युत के वास्तविक औसत उपभोग के आधार पर, सुरक्षा राशि की पर्याप्तता की समीक्षा करेंगे एवं उपभोक्ता को सूचित करेंगे। साथ ही, धारा 16(ई) में प्रावधान है कि यदि वार्षिक समीक्षा के आधार पर सुरक्षा राशि अपर्याप्त है एवं इस गणना व डिस्कॉम्स के पास पूर्व में जमा सुरक्षा राशि के मध्य अन्तर, ₹ 500 अथवा विद्यमान सुरक्षा राशि के दस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से अधिक है तो उपभोक्ता को नोटिस दिये जाने के 30 दिवस के भीतर अन्तर राशि जमा करने हेतु, नोटिस जारी करेंगे। इसके अलावा, बिलिंग एजेंसियों के साथ हुये करार (9 सितम्बर 2012) में वर्णित है कि उपभोक्ताओं, जिनको बढ़ी सुरक्षा राशि के लिये नोटिस दिया जाना है, के अद्यतन खाते प्रदान करते समय एक वित्तीय वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में दो बार मुद्रित किया जाना आवश्यक है। तथापि, टीसीओएस की धारा 23(ए) के अनुसार रेलवे सहित राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभाग सुरक्षा राशि जमा कराने से विमुक्त थे।

वर्ष 2012-13 में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) में सुरक्षा निधि की वार्षिक समीक्षा से संबंधित टीसीओएस के प्रावधानों की अनुपालना के आंकलन हेतु, हमने नौ वृत्तों में से तीन वृत्तों (पाली, जोधपुर शहर एवं बीकानेर) के वर्ष 2011-12 के निम्न तनाव (एलटी) उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग समंक संग्रहित (मई 2013) किये। (1) मध्यम औद्योगिक सेवा (एमआईपी), (2) अघरेलू सेवा (एनडीएस), (3) मिश्रित भार (मिक्स) हेतु थोक आपूर्ति एवं (4) लघु औद्योगिक सेवा (एसआईपी) श्रेणी के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध मे बिलिंग समंकों का ''इण्टरएक्टिव डाटा एक्सट्रेक्शन एवं एनालाईसिस'' (आइडिया) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर विश्लेषण किया गया। साथ ही, इन श्रेणी के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को चयनित किया गया था जिनके मई 2011 से अप्रैल 2012 तक के बिलिंग चक्र के दौरान सभी बारह महीनों के समंक उपलब्ध थे।

अभिलेखों एवं बिलिंग समंकों की जाँच से विदित हुआ कि कम्पनी द्वारा वर्ष 2010-11 में एमआईपी उपभोक्ताओं (सभी वृत्तों में) को छोड़कर उपभोक्ताओं की चयनित श्रेणी की लिये सुरक्षा निधि की समीक्षा पिछले कई वर्षों से नहीं की गई थी। हमने पाया कि वर्ष 2012-13 के प्रारम्भ में, छः वर्षों की अवधि के पश्चात् राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा संशोधित टैरिफ अनुमोदित (सितम्बर 2011) किये जाने के कारण सुरक्षा निधि की वार्षिक समीक्षा अपरिहार्य थी। साथ ही, बिलिंग एजेंसी ने न तो बढ़ी हुई सुरक्षा राशि हेतु नोटिस मुद्रित/जारी

किये एवं न ही उन उपभोक्ताओं के अधतन खाते प्रदान किये जिनसे अतिरिक्त सुरक्षा राशि की आवश्यकता थी। तीन चयनित वृत्तों में उपभोक्ताओं का श्रेणी-वार विश्लेषण **अनुबंध-17** में दिया गया है एवं आईडिया से निकाले गये संक्षिप्त परिणाम नीचे दिये गये है:

| विवरण | वृत्त का नाम | | | योग |
|---|---|---|---|---|
| | पाली | जोधपुर शहर | बीकानेर | |
| चयनित श्रेणी में कुल उपभोक्ता | 34543 | 32044 | 5510 | 72097 |
| *घटायें:* उपभोक्ता, जिनकी प्रारम्भिक सुरक्षा निधि शून्य है | 9284 | 8982 | 601 | 18867 |
| *घटायें:* विमुक्त उपभोक्ता एवं पर्याप्त सुरक्षा निधि वाले उपभोक्ता | 11909 | 9224 | 1743 | 22876 |
| शेष उपभोक्ता, जिनकी सुरक्षा निधि अपर्याप्त है | 13350 | 13838 | 3166 | 30354 |
| सुरक्षा निधि की आवश्यकता[18] (₹ करोड़ में) | 8.23 | 14.00 | 3.69 | 25.92 |
| उपलब्ध सुरक्षा निधि (₹ करोड़ में) | 2.42 | 4.48 | 0.97 | 7.87 |
| कमी (₹ करोड़ में) | 5.81 | 9.52 | 2.72 | 18.05 |

यह देखा जा सकता है कि कम्पनी विमुक्त श्रेणी सहित केवल 31.73 प्रतिशत उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में पर्याप्त सुरक्षा निधि रखती थी। शेष रहे उपभोक्ताओं में से 42.10 प्रतिशत में पर्याप्त सुरक्षा निधि का अभाव था एवं 26.17 प्रतिशत वह उपभोक्ता थे, जिनके बिलिंग समंकों में प्रारम्भिक सुरक्षा निधि शून्य वर्णित की गई थी। शून्य प्रारम्भिक सुरक्षा निधि वाले उपभोक्ताओं के समंक गलत प्रतीत होते है क्योंकि कम्पनी सुरक्षा निधि के भुगतान के बिना विद्युत सम्बन्ध जारी नहीं करती है। अपर्याप्त सुरक्षा निधि वाले उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, सुरक्षा निधि के पेटे ₹ 18.05 करोड़ की कमी थी जबकि उन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, जहाँ बिलिंग समंकों में सुरक्षा निधि शून्य इंगित थी, हम कमी की गणना करने में समर्थ नहीं थे। साथ ही बिलिंग एजेन्सी उन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, जहाँ समंकों में सुरक्षा निधि शून्य इंगित थी, अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि की आवश्यकता का आंकलन करने में समर्थ नहीं होगी क्योंकि कम्पनी द्वारा प्रारम्भिक निधि के समंक उपलब्ध नहीं करवाये गये थे।

हमने देखा कि पर्याप्त सुरक्षा निधि कम्पनी को विद्युत के उपभोग हेतु उपभोक्ताओं के समक्ष न्यूनतम वित्तीय संरक्षण प्रदान करती है।

साथ ही, हमने देखा कि मार्च 2012 में, तीन वृत्तों में चयनित श्रेणियों में स्थायी रूप से सम्बन्ध विच्छेद किये गये ₹ 11.68 करोड़ बकाया रखने वाले 15156 उपभोक्ता थे। इन उपभोक्ताओं के समक्ष उपलब्ध सुरक्षा निधि ₹ 9.99 करोड़ की कमी को छोड़ते हुये मात्र ₹ 1.69 करोड़ की थी। वित्तीय विवरणों के अनुसार समग्र कम्पनी हेतु स्थायी रूप से सम्बन्ध विच्छेदित उपभोक्ताओं के समक्ष ₹ 82.80 करोड़ की बकाया राशि थी (मार्च 2012)।

इस प्रकार, सुरक्षा निधि की पर्याप्तता की वार्षिक समीक्षा नहीं किये जाने से कम्पनी वर्ष 2012-13 में चयनित वृत्तों में ₹ 18.05 करोड़ की सीमा तक वित्तीय रूप से असुरक्षित थी। कम्पनी को विद्युत की आपूर्ति के समक्ष न्यूनतम वित्तीय संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु उपभोक्ता द्वारा दी गई सुरक्षा निधि की पर्याप्तता की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिये।

सरकार/प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त/जुलाई 2013) एवं कहा कि बिलिंग एजेंसी

18 बारह माह का औसत उपभोग X 2 X लागू टैरिफ।

को अतिरिक्त सुरक्षा निधि हेतु नोटिस मुद्रित करने एवं ऐसे उपभोक्ताओं, जिनसे अतिरिक्त सुरक्षा निधि वांछित है, के अद्यतन खाते प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है (जून 2013)। यह भी कहा गया था कि विद्यमान श्रमशक्ति सदैव दिन-प्रतिदिन के तकनीकी एवं राजस्व सम्बन्धी गतिविधियों में व्यस्त रही एवं पर्याप्त श्रमशक्ति के अभाव में विभिन्न स्तरों पर उचित निगरानी सम्भव नहीं थी।

## राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

### *4.6 निर्माण पूर्ण करने व उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने एवं प्रतिधारित प्रभारों की वसूली में प्रणालीगत दोष*

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) औद्योगिक प्रतिष्ठानों हेतु भूमि का विकास करने हेतु राजस्थान सरकार की एकमात्र एजेन्सी है। उद्यमियों को भूमि का आवंटन, कम्पनी के द्वारा बनाये गये 'रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979' (निस्तारण नियम) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। कम्पनी ने स्थापना (मार्च 1969) के पश्चात् से फरवरी 2013 तक राजस्थान के विभिन्न भागों में इसके द्वारा विकसित किये गये 323 औद्योगिक क्षेत्रों में 52030 भूखण्ड आवंटित किये। आवंटित भूखण्डों में से, 9833 भूखण्ड खाली पड़े हुये थे एवं 3703 भूखण्डों में उद्यमियों ने उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ नहीं की थी।

वर्तमान अध्ययन यह मूल्यांकन करने के लिये किया (अप्रैल 2013 से मई 2013 तक) गया था कि:

- कम्पनी ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि उद्यमियों ने निर्माण गतिविधियाँ प्रारम्भ/पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने हेतु नियत समय की अनुपालना की है, एक दक्ष एवं प्रभावी तन्त्र विकसित किया है;
- निर्माण गतिविधियों के प्रारम्भ/पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने हेतु समय की वृद्धि, निस्तारण नियमों के अनुरूप प्रदान की थी; एवं
- कम्पनी ने निस्तारण नियमों के अनुरूप प्रतिधारित प्रभारों की वसूली एवं दोषी उद्यमियों के विरूद्व उचित कार्यवाही की थी।

#### *लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं मापदण्ड*

वर्तमान अध्ययन उद्यमियों द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ/पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने की नियत समय-सीमा की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा विकसित प्रणाली की समीक्षा करता है। लेखापरीक्षा जाँच में कम्पनी की 26 इकाईयों में से सांयोगिक रूप से चयन की गई पाँच[19] इकाईयों एवं मुख्यालय पर 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि हेतु अभिलेखों की संवीक्षा समाहित है। साथ ही, चयनित इकाईयों में 50 मामले सांयोगिक रूप से चयनित एवं विश्लेषण किये गये थे। लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत थे;

- निर्माण गतिविधियों के प्रारम्भ एवं पूर्ण होने तथा उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ होने की

19 सीतापुरा, जयपुर(उत्तर), भिवाड़ी-I, भिवाड़ी-II एवं बोरानाड़ा।

समयावधि सम्बन्धी निस्तारण नियमों का नियम 21;

- उत्पादन गतिविधि अथवा गतिविधि, जिस हेतु भूखण्ड का आवटंन किया गया है, के प्रारम्भ होने में विलम्ब हेतु समयावृद्धि सम्बन्धी निस्तारण नियमों का नियम 23(सी);
- किराया/शास्ति/स्थानान्तरण/पुनःस्थापन/अन्य प्रभारों के समक्ष लेखा प्रभारी द्वारा वसूली के सत्यापन सम्बन्धी लेखांकन एवं व्यवसाय नियमों 1999 का नियम 4(सी);
- निदेशक मण्डल, आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) एवं परित्याग समिति की बैठकों के एजेण्डा एवं कार्यवृत्त; एवं
- एमआईएस एवं व्यक्तिगत उद्यमियों की आवंटन पत्रावलियाँ।

***लेखापरीक्षा परिणाम***

***निर्माण गतिविधि का प्रारम्भ/पूर्णता एवं उत्पादन गतिविधियों का प्रारम्भ होना***

निस्तारण नियमों के नियम 21 में दिया गया है कि सामान्य प्रावधान के अनुसार, एक आवंटी को कब्जे की दिनांक या पट्टा विलेख का निष्पादन, जो भी पहले हो, के दो वर्षों की अवधि के भीतर निर्माण गतिविधियाँ पूर्ण करनी एवं तीन वर्षों की अवधि के भीतर उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करनी होगी। 19 मई 2006 अथवा इसके पश्चात् एनसीआर[20] में आवंटनों के मामलों में एक विशेष प्रावधान के अनुसार, आवंटियों को कब्जे की दिनांक अथवा पट्टा विलेख के निष्पादन, जो भी पहले हो, के छः माह के भीतर निर्माण गतिविधियाँ प्रारम्भ करना, 18 माह के भीतर निर्माण पूर्ण करना एवं 24 माह के भीतर उत्पादन प्रारम्भ करना आवश्यक था। साथ ही, 2 फरवरी 2004 से पूर्व किये गये आवंटनों के मामलों में, एक विशेष प्रावधान के तहत, आवंटियों को कब्जे की दिनांक अथवा पट्टा विलेख का निष्पादन, जो भी पहले हो, के पाँच वर्षों की अवधि के भीतर उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करनी आवश्यक थी।

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से विदित हुआ कि कम्पनी ने उद्यमियों द्वारा समय पर निर्माण के प्रारम्भ/पूर्णता एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निगरानी रखने एवं स्वयं की संतुष्टि हेतु कोई तन्त्र विकसित नहीं किया था। समय सीमा की अनुपालना नहीं किये जाने सम्बन्धी मामले कम्पनी के ध्यान में इकाई प्रमुखों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में किये गये निरीक्षणों/दौरों के दौरान आये थे। इकाई कार्यालयों के द्वारा तैयार की गई एमआईएस में केवल खाली भूखण्डों एवं भूखण्डों की संख्या, जहाँ उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया था, ही इंगित की गई थी। आवंटियों द्वारा निर्दिष्ट समयावधि की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आवंटन की दिनांक एवं निर्माण के प्रारम्भ/पूर्णता की तथा उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने की निर्दिष्ट दिनांक सम्बन्धी भूखण्ड-वार विवरण संधारित नहीं किया गया था।

50 चयनित मामलों की विस्तृत संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि भूखण्ड वर्ष 1989 एवं 2010 के मध्य आवंटित किये गये थे लेकिन फरवरी 2013 तक केवल 24 भूखण्डों में उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ हुई थी। पूर्वतम आवंटित भूखण्ड, जहाँ उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ नहीं हुई थी (जून 2013), वर्ष 1991 से संबंधित था। उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने में एक से 20 वर्षों के मध्य का विलम्ब हुआ।

20 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।

### *समयावृद्धि एवं प्रतिधारित प्रभारों का आरोपण*

निस्तारण नियमों के नियम 23(सी) में आवंटियों को प्रतिधारित प्रभारों के भुगतान पर समयावृद्धि, चाहे भूखण्ड 9 मई 2005 तक अथवा इसके बाद आवंटित किया गया था, का प्रावधान है। 9 मई 2005 तक आवंटन के मामले में, इकाई प्रमुखों को एक समय में तीन वर्षों की निर्धारित अवधि अथवा औद्योगिक क्षेत्र के संतृप्त घोषित किये जाने तक, जो भी बाद में हो, से आगे अधिकतम दो वर्ष एवं पाँच वर्षों से अधिक नहीं हेतु वृद्धि अनुमत्य करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कार्यकारी निदेशक अगले पाँच वर्षों तक समयावृद्धि कर सकता था एवं प्रबन्ध निदेशक को समयावृद्धि हेतु पूर्ण अधिकार था। 9 मई 2005 के पश्चात् किये गये आवंटनों के मामले में, इकाई प्रमुख श्रेणी-ए में एक वर्ष, श्रेणी-बी में दो वर्ष एवं श्रेणी-सी के औद्योगिक क्षेत्रों में तीन वर्षों तक अधिकतम समयावृद्धि प्रदान करने हेतु अधिकृत थे। कार्यकारी निदेशक, इकाई प्रमुखों द्वारा प्रदान की गई समयावृद्धि से आगे औद्योगिक क्षेत्रों की श्रेणी-ए में एक समय में एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष, श्रेणी-बी में तीन वर्ष तथा श्रेणी-सी में पाँच वर्षों तक समयावृद्धि अनुमत्य कर सकता था। अधिकतम निर्धारित अवधि के आगे कोई समयावृद्धि प्रदान नहीं की जानी थी एवं यदि ऐसी बढ़ाई गई अवधि के व्यतीत होने पर, निर्माण गतिविधियों की पूर्णता/उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने की शर्त की अनुपालना नहीं किये जाने पर, आवंटन निरस्त किया जाना था। नियम में यह भी प्रावधान था कि इकाई प्रमुख निर्माण गतिविधियों की पूर्णता/उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने की निर्धारित/बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने के छः माह पूर्व भूखण्ड आवंटियों को स्मरण-पत्र के रूप में, नोटिस जारी करेंगे। आवंटियों के लिये या तो शर्तों को पूर्ण करना अथवा प्रतिधारित प्रभारों का भुगतान कर सक्षम अधिकारी से निर्दिष्ट समय में वृद्धि करवाना आवश्यक था, इसमें विफल रहने पर भूखण्ड निरस्त किये जाने योग्य होगा।

चयनित मामलों, जहाँ आवंटन 9 मई 2005 के पश्चात् किया गया था, के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कम्पनी ने नियमों के उल्लंघन में तीन वर्षों की अधिकतम समयावधि से आगे समयावृद्धि अनुमत्य की। चयनित मामलों में से कुल 19 मामलों में, कम्पनी ने छः मामलों में 41 से 69 माह के मध्य समयावृद्धि अनुमत्य की जबकि पाँच अन्य मामलों में, इकाई प्रमुखों ने 30 माह तक समयावृद्धि प्रदान की। शेष आठ मामलों में, उत्पादन गतिविधियाँ तीन वर्षों की विस्तारित अवधि में प्रारम्भ हो गई थी।

हमने पाया कि किस दिनांक को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के माध्यम से स्मरण-पत्र जारी किये गये थे, यह ज्ञात करने के लिये कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी। परिणामस्वरूप, निर्दिष्ट अवधि व्यतीत होने से पूर्व स्मरण-पत्र जारी किया जाना नहीं पाया गया था। 46 मामलों में हमने पाया कि दोषी उद्यमियों को निर्दिष्ट अवधि व्यतीत होने के पश्चात् जारी किये गये एससीएन में दो से 162 माह के मध्य विलम्ब हुआ। चार मामलों में, निर्माण की निर्दिष्ट अवधि के मई 2001 से जून 2009 के दौरान समाप्त हो जाने के बावजूद भी एससीएन जारी नहीं किये गये थे (अप्रैल 2013)।

उद्यमियों को जारी किये गये एससीएन के नियमों एवं शर्तों में, आवंटन के नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन में विलम्ब हेतु प्रतिधारित प्रभारों के भुगतान द्वारा प्रत्युत्तर देने हेतु 30 दिवस का प्रावधान था जिसमें विफल रहने पर बिना किसी अन्य नोटिस अथवा सूचना के आवंटन निरस्त किया जाना था। अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से विदित हुआ कि उद्यमियों ने या तो एससीएन

का कोई उत्तर नहीं दिया था अथवा विलम्ब से उत्तर दिया था। तथापि, कम्पनी ने दोषी उद्यमियों के, सिवाय एससीएन पुनः जारी किये जाने के, भूखण्डों को निरस्त नहीं किया था। तीन मामलों में भूखण्डों को निरस्त किया गया था लेकिन उद्यमियों द्वारा प्रतिधारित एवं पुनः नवीनीकरण प्रभारों का भुगतान किये जाने पर यह पुनः स्थापित कर दिये गये थे।

*प्रतिधारित प्रभारों की कम वसूली*

निस्तारण नियमों का नियम 23 (सी) प्रतिधारित प्रभारों के भुगतान पर समयावृद्धि की अनुमति देता है। 9 मई 2005 तक किये गये आवंटनों के मामले में, प्रतिधारित प्रभार प्रति तिमाही विलम्ब हेतु विकास शुल्क की प्रचलित दर के 0.50 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर की दर से लगाये जाने थे। 9 मई 2005 के पश्चात् हुये आवंटनों हेतु इकाई प्रमुखों द्वारा समयावृद्धि प्रदान किये जाने के मामले में निर्माण एवं उत्पादन हेतु प्रति तिमाही विलम्ब के लिये प्रतिधारित प्रभार विकास शुल्क की प्रचलित दर के क्रमशः 0.75 प्रतिशत एवं 0.50 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर की दर से आरोपित किये जाने थे। यदि समयावृद्धि कार्यकारी निदेशक द्वारा दी गई थी, निर्माण एवं उत्पादन हेतु प्रति तिमाही विलम्ब के लिये प्रतिधारित प्रभार विकास शुल्क की प्रचलित दर के क्रमशः एक प्रतिशत एवं 0.75 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर की दर से आरोपित किये जाने थे।

चयनित इकाई कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि प्रतिधारित प्रभार नियमानुसार आरोपित नहीं किये गये थे एवं कम्पनी द्वारा 13 मामलों में ₹ 2.68 करोड़ के प्रतिधारित प्रभार कम लगाये गये थे जबकि 16 मामलों में ₹ 1.02 करोड़ के प्रतिधारित प्रभार नहीं लगाये गये थे।

लेखांकन एवं व्यवसाय नियम, 1999 के नियम 4 (सी) के अनुसार, लेखा प्रभारी को किराया/शास्ति/हस्तांतरण/पुनः स्थापन/अन्य प्रभारों, जैसा भी मामला हो, के पेटे होने वाली वसूली की राशि की जाँच एवं सत्यापन करना चाहिये। तथापि, आरोपित किये गये प्रतिधारित प्रभारों की स्थानीय वित्तीय प्रकोष्ठ द्वारा कभी भी जाँच एवं निरीक्षण नहीं किया गया था। साथ ही, 9 मई 2005 के पूर्व अथवा इसके पश्चात् किये गये आवंटनों हेतु प्रतिधारित प्रभारों की गणना परिपत्रों/नियमों को दृष्टिगत रखे बिना की गई थी।

*निष्कर्ष एवं सिफारिशें*

**कम्पनी निर्माण के प्रारम्भ/पूर्णता एवं उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने सम्बन्धी प्रावधानों की अनुपालना की निगरानी करने हेतु एक दक्ष एवं प्रभावी प्रणाली विकसित करने में विफल रही। स्मरण-पत्र एवं एससीएन जारी करने हेतु कोई उचित तन्त्र नहीं था। साथ ही, उद्यमी कई बार समयावृद्धि प्रदान किये जाने के बावजूद निर्माण पूर्ण करने/उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने में विफल रहे जिसने राज्य में त्वरित औद्योगीकरण के मूलभूत उद्देश्य को निष्फल किया।**

**कम्पनी को यह सुनिश्चित करने के लिये कि उद्यमी निर्माण के प्रारम्भ/पूर्णता एवं उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने की समय-सीमा की अनुपालना करें, एक दक्ष एवं प्रभावी प्रणाली विकसित करनी चाहिये। इसे समयावृद्धि, प्रतिधारित प्रभारों का आरोपण नियमानुसार करना चाहिये एवं औद्योगीकरण की गति को बनाये रखे जाने के लिये दोषी उद्यमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये।**

सरकार एवं प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

## 4.7 जल प्रभारों की वसूली में प्रणालीगत कमियाँ

**नियमों के क्रियान्वयन में प्रणालीगत कमियाँ, जल प्रभारों में संशोधन एवं नियमों में स्पष्टता के अभाव के परिणामस्वरूप औद्योगिक इकाईयों को जल की आपूर्ति में कम्पनी ने हानि उठाई।**

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) राज्य में औद्योगिक संवर्द्धन के लिए राजस्थान सरकार की एक नोडल एजेन्सी है। कम्पनी राज्य के विभिन्न भागों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है एवं औद्योगीकरण के लिए आवश्यक सहायक सेवायें यथा जल, विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था प्रदान कर औद्योगिक इकाईयों को सुविधाएं प्रदान करती है। औद्योगिक क्षेत्रों में जल की आपूर्ति या तो कम्पनी द्वारा स्वयं के खोदे गये कुओं के संचालन से अथवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) से बड़ी मात्रा में आपूर्ति लेकर करती है। मार्च 2013 तक कम्पनी ने 323 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया था जिसमें से 162 क्षेत्रों में जल-आपूर्ति स्वयं के खोदे गये कुओं के माध्यम से जबकि शेष क्षेत्रों में जल की आपूर्ति पीएचईडी द्वारा की जा रही थी।

जल आपूर्ति सुविधा की संवीक्षा (अप्रैल 2013 से मई 2013) यह आंकलन करने के लिए की गई थी किः

- कम्पनी ने जल प्रभारों की वसूली हेतु एक प्रभावी व दक्ष प्रणाली विकसित की थी, जल आपूर्ति की दरें इसके समक्ष किये गये व्ययों के अनुरूप निर्धारित एवं संशोधित की गई थी;, एवं
- बिलिंग प्रणाली दक्ष थी, खराब मीटरों को समय पर बदला गया था एवं कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा निधि पर्याप्त थी।

### *कार्य क्षेत्र एवं मापदण्ड*

कम्पनी की कुल 26 इकाईयों में से, जहाँ जल आपूर्ति सुविधा दी जा रही थी, पाँच[21] इकाईयाँ (19 प्रतिशत) हानि, अधिकतम बकाया जल प्रभार, अभिलेख अनुरक्षण की गुणवत्ता एवं नये व पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के मिश्रण के आधार पर अभिलेखों की विस्तृत जाँच हेतु चयनित की गई थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी मुख्यालय पर उपलब्ध अभिलेख भी जल आपूर्ति की सम्पूर्ण प्रणाली की संवीक्षा हेतु जाँचे गये थे। लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्रोत थेः

- जल आपूर्ति नियम, 1976[22]
- रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979, एवं
- रीको लेखांकन एवं व्यवसाय नियम, 1999 एवं समय-समय पर जारी अन्य परिपत्र।

### *लेखापरीक्षा परिणाम*

### *जल आपूर्ति सुविधा पर राजस्व/व्यय एवं अधिशेष/कमी*

मार्च 2013 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान जल आपूर्ति सुविधा पर राजस्व/व्यय एवं

21 सीतापुरा, जयपुर(उत्तर), भिवाड़ी-I, भिवाड़ी-II एवं बोरानाड़ा।

22 तात्कालिक राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाये गये।

अधिशेष/कमी की स्थिति नीचे दी गई है:

*(₹ करोड़ में)*

| वर्ष | वसूली | व्यय | अधिशेष/(कमी) | राजस्व पर व्यय की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 5.36 | 11.04 | (5.68) | 205.97 |
| 2009-10 | 5.48 | 11.43 | (5.95) | 205.58 |
| 2010-11 | 5.46 | 11.85 | (6.39) | 217.03 |
| 2011-12 | 6.29 | 10.29 | (4.00) | 163.59 |
| 2012-13 | 6.57 | 9.90 | (3.33) | 150.68 |
| **योग** | **29.16** | **54.51** | **(25.35)** | **185.25** |

यह देखा जा सकता है कि औद्योगिक इकाईयों को जल आपूर्ति पर किये गये व्यय एवं जल प्रभारों की वसूली के मध्य व्यापक अन्तर था जिसके कारण मार्च 2013 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान ₹ 25.35 करोड़ का घाटा हुआ। साथ ही, वित्तीय विवरणों से प्रकट हुआ कि मार्च 2012 को ₹ 1.08 करोड़ की उपलब्ध सुरक्षा निधि के समक्ष बकाया जल प्रभार ₹ 1.34 करोड़ के थे।

हमने पाया कि कम्पनी ने भूजल की निकासी, वितरण, उद्यमियों से सुरक्षा निधि इत्यादि के अभिलेखों के संधारण के सम्बन्ध में प्रभावी, दक्ष एवं एकरूप प्रणाली विकसित नहीं की थी। चयनित इकाईयों में या तो उचित अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे अथवा उद्यमियों को की गई जलापूर्ति की स्थिति के आंकलन हेतु अपर्याप्त अभिलेख थे। पाँच चयनित इकाई कार्यालयों द्वारा नियमों के लागू किये जाने में एकरूपता का अभाव था जैसे कि भिवाड़ी-II एवं जयपुर (उत्तर) इकाई कार्यालयों द्वारा द्विमासिक बिल जारी किये गये थे जबकि मासिक बिल जारी किये जाने थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2013) एवं कहा कि विद्युत प्रभारों तथा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के कारण जल आपूर्ति प्रदान करने में हानि हुई थी।

### *जल प्रभारों का संशोधन नहीं किया जाना*

जल आपूर्ति नियम, 1976 के नियम 17 में कम्पनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार जल प्रभार लगाये जाने हेतु प्रावधान है।

हमने पाया कि कम्पनी ने जल की आपूर्ति पर किये गये व्यय के आनुपातिक रूप से जल प्रभारों में संशोधन हेतु कोई नीति/प्रणाली निर्धारित नहीं की। जल आपूर्ति योजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता पर कभी काम नहीं किया गया था एवं कम्पनी ने जल प्रभार लगाये जाने हेतु पीएचईडी दरों का अनुसरण किया। अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इकाई कार्यालयों ने मार्च 2013 को समाप्त गत 15 वर्षों के दौरान अनेक बार दरों में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजा लेकिन बोरानाड़ा के पाँच[23] एवं मन्डोर के एक औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ मई 2004 में दरें संशोधित की गई थी, को छोड़कर प्रभार दिसम्बर 1998 के पश्चात् केवल नवम्बर 2012 में संशोधित किये गये थे। इन क्षेत्रों में संशोधन पीएचईडी से एक स्थान पर बड़ी मात्रा में आपूर्ति लेने एवं तत्पश्चात् औद्योगिक इकाईयों को स्वयं के तंत्र से वितरण के कारण जलापूर्ति की भारी लागत

23 (1) औद्योगिक क्षेत्र बोरानाड़ा, (2) एक्सपोर्ट प्रमोशन औद्योगिक पार्क बोरानाड़ा, (3) विशेष आर्थिक क्षेत्र बोरानाड़ा, (4) एग्रो फूड पार्क बोरानाड़ा, (5) शिल्पग्राम बोरानाड़ा, एवं (1) औद्योगिक क्षेत्र मण्डोर।

के कारण था। साथ ही, यह देखा गया था कि कम्पनी दरों को पीएचईडी दरों के समतुल्य बनाए रखने में भी विफल रही क्योंकि पीएचईडी ने सितम्बर 2007 में दरों में संशोधन किया था परन्तु संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव कम्पनी के अभिलेखों पर नहीं पाया गया था।

हमने देखा कि कम्पनी औद्योगिक इकाईयों को जल की आपूर्ति पर होने वाली हानियों हेतु बाध्य थी क्योंकि पीएचईडी की दरें राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक रियायती थी। साथ ही, कम्पनी को पीएचईडी से एक स्थान पर बड़ी मात्रा में आपूर्ति प्राप्त कर जल की आगे आपूर्ति पर श्रमशक्ति, पम्पिंग, रखरखाव इत्यादि पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था। इस कारण जलापूर्ति पर किये गये व्यय एवं वसूली के मध्य व्यापक अन्तर रहा। मार्च 2013 को समाप्त गत पाँच वर्षों में व्यय की वसूली पर प्रतिशतता 150.68 एवं 217.03 प्रतिशत के मध्य रही।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कम्पनी यह सुनिश्चित करने के लिये कि हानियाँ कम करने हेतु जल-प्रभारों की सामयिक रूप से समीक्षा की जा रही है, एक प्रणाली का अनुसरण करेगी।

**कम्पनी को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जल की आपूर्ति पर किये गये व्यय के अनुसार दरों में संशोधन हेतु एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।**

### *दोषपूर्ण मीटर*

जल आपूर्ति नियम, 1976 के नियम 22 में प्रावधान है कि पानी के मीटर के माध्यम से किया गया उपभोग सभी उद्देश्यों के लिये प्रथम दृष्टया अभिलेख है एवं मीटर खराब होने अथवा प्रतिवेदित किये जाने के मामले में उपभोग की गणना निर्धारित मानकों के आधार पर की जानी चाहिये। निर्धारित मानकों में (i) तात्कालिक गत माह का औसत या गत तीन महीनों का औसत, (ii) पिछले वर्ष में इसी अवधि का उपभोग, एवं (iii) ऐसे विश्वसनीय समंक जिस पर सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विचार किया जा सकता है, सम्मिलित है। साथ ही, नियम 16 (ई) में प्रावधान है कि उपभोक्ता दोषपूर्ण मीटर की मरम्मत अथवा बदलाव स्वयं की लागत पर करवायेगा जिसमें विफल रहने पर जल-सम्बन्ध विच्छेदित कर दिया जायेगा एवं वसूली लोक माँग वसूली अधिनियम, 1952 या कम्पनी के नियमों के अनुसार की जायेगी। मार्च 2013 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान कुल कनेक्शनों की संख्या व दोषपूर्ण मीटर की स्थिति नीचे दी गई है:

| इकाई का नाम | वर्ष के अन्त में सम्बन्ध | | | वर्ष के अन्त में दोषपूर्ण मीटर/सम्बन्ध | | | कुल सम्बन्धों पर दोषपूर्ण मीटर की प्रतिशतता | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| सीतापुरा | 1544 | 1544 | 1544 | 381 | 416 | 448 | 24.68 | 26.94 | 29.02 |
| जयपुर (उत्तर) | 1545 | 1697 | 1776 | 227 | 219 | 228 | 14.69 | 12.91 | 12.84 |
| बोरानाड़ा | 630 | 661 | 690 | 145 | 151 | 118 | 23.02 | 22.48 | 17.10 |
| भिवाड़ी-I | 1166 | 1171 | 1173 | 48 | 52 | 68 | 4.12 | 4.44 | 5.80 |
| भिवाड़ी-II | 272 | 190 | 215 | 70 | 84 | 94 | 25.74 | 44.21 | 43.72 |

यह देखा जा सकता है कि मार्च 2013 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान चयनित इकाईयों में दोषपूर्ण मीटरों की प्रतिशतता 4.12 प्रतिशत (भिवाड़ी-I) एवं 44.21 प्रतिशत (भिवाड़ी-II) के मध्य रही। अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दोषपूर्ण मीटरों के मामलों में कम्पनी निर्धारित मानकों के अनुरूप जल प्रभार की बिलिंग कर रही थी। तथापि, इकाईयों ने निर्धारित

मानकों को लागू करने में एकरूपता नहीं रखी थी क्योंकि जयपुर (उत्तर) के अलावा चयनित इकाईयों ने निर्धारित मानकों के अनुसार गणन की गई अधिकतम दरें प्रभारित की थी, जबकि जयपुर (उत्तर) ने पूर्व के तीन महीनों का औसत के आधार पर या अन्य कोई दर, जो नियमों के अनुरूप नहीं थी, से बिलिंग की थी।

हमने पाया कि नियमों में न तो दोषपूर्ण मीटरों की मरम्मत/बदलवाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित थी तथा न ही मरम्मत एवं बदलवाने में विफल होने पर किसी शास्ति का प्रावधान था। नियमों में स्पष्टता के अभाव में मीटर 48 माह तक दोषपूर्ण रहे एवं कम्पनी ने जल आपूर्ति विच्छेदित भी नहीं की थी। कम्पनी की सीकर इकाई व सिविल इकाई के मध्य हुये आन्तरिक पत्राचार (जून 2006) से ज्ञात हुआ कि पूर्व में, उद्यमी को समय पर मरम्मत/बदलाव करवाने के लिए बाध्य करने हेतु बिल राशि में 10 प्रतिशत प्रतिमाह, जब तक मीटर की मरम्मत/बदलाव न हो, बढ़ाये जाने का प्रावधान था। तथापि, इस प्रावधान को हटा दिया गया था लेकिन इसे बन्द किये जाने की प्रभावी तिथि को दर्शाने वाला कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कम्पनी ने सभी इकाईयों को निर्देश जारी किये थे एवं जल आपूर्ति नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही प्रधान कार्यालय स्तर पर की जायेगी।

**कम्पनी को गलत मीटर पठन के कारण होने वाली किसी सम्भावित हानि को टालने हेतु दोषपूर्ण मीटरों का समयोचित प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना चाहिये।**

*सुरक्षा निधि*

कम्पनी ने तीन महीनों का सकल न्यूनतम प्रभार, न्यूनतम ₹ 500 प्रति प्रतिष्ठान, के समकक्ष सुरक्षा निधि रखने का निर्णय लिया (मई 1998)। दिसम्बर 1998 के दौरान टैरिफ संशोधन के समय सुरक्षा निधि की न्यूनतम सीमा घटाकर ₹ 200 प्रति प्रतिष्ठान कर दी गयी थी। तथापि, इकाई कार्यालयों द्वारा दोनों परिपत्रों/मानकों के आधार पर सुरक्षा निधि स्वीकार की थी।

हमने पाया कि चयनित इकाईयों में सम्बन्ध-विच्छेदित उपभोक्ताओं के मामले में मार्च 2013 को ₹ 24.77 लाख की जल प्रभार राशि वसूली हेतु बकाया थी। 50 सम्बन्ध-विच्छेदित उपभोक्ताओं के अभिलेखों की नमूना जाँच से विदित हुआ कि ₹ 2.36 लाख के बकाया जल प्रभार के समक्ष केवल ₹ 0.28 लाख की सुरक्षा निधि उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ कि कम्पनी ने उन उपभोक्ताओं को जलापूर्ति जारी रखी जिन्होंने 12 माह से भी अधिक समय से पानी के बिलों का भुगतान नहीं किया था।

हमने देखा कि सुरक्षा निधि वाक्यांश कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त नहीं था क्योंकि जल के वास्तविक उपभोग के स्थान पर यह तीन माह का सकल न्यूनतम प्रभार पर आधारित था। साथ ही, भिवाड़ी-I इकाई में सुरक्षा निधि तीन माह के सकल न्यूनतम प्रभार के स्थान पर ₹ 500 या तीन माह के शुद्ध न्यूनतम शुल्क की दर से एकत्रित की जा रही थी। इसके कारण सुरक्षा निधि का कम आरोपण एवं विभिन्न इकाईयों द्वारा आदेशों के क्रियान्वयन में असमानता देखी गई। सेवा सम्बन्ध/पाईप के आकार की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम प्रभार निर्धारित किये जाने के कारण पूर्व के उपभोग के अनुसार सुरक्षा निधि का पुनरीक्षण किये जाने हेतु समय पर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि कम्पनी सुरक्षा निधि राशि के सामयिक संशोधन सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली अपनायेगी।

**हम अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को अपने उपभोक्ताओं के वास्तविक उपभोग की समीक्षा समय-समय पर करनी चाहिये एवं तदनुसार सुरक्षा निधि संशोधित करनी चाहिए।**

इस प्रकार कम्पनी ने समय-समय पर टैरिफ संशोधन नहीं किये जाने के कारण औद्योगिक इकाईयों को जल की आपूर्ति पर भारी हानि उठाई एवं जल प्रभारों की वसूली व व्यय के मध्य अन्तर के कारण मार्च 2013 के अन्त में ₹ 25.35 करोड़ का घाटा हुआ। उपभोक्ताओं के मीटर 48 माह से भी अधिक समय तक खराब पड़े रहे परन्तु न तो यह उपभोक्ताओं द्वारा बदले गये थे तथा न ही उनकी आपूर्ति विच्छेदित की गई थी। इसके अलावा अपर्याप्त सुरक्षा निधि के कारण सम्बन्ध विच्छेदित उपभोक्ताओं से बकाया जल प्रभारों की वसूली नहीं हो सकी।

### *4.8 नियमों के उल्लंघन में भूमि के विक्रय का नियमन*

**कम्पनी ने नियमों के उल्लंघन में भूमि के विक्रय का नियमन किया एवं ₹ 1.02 करोड़ की हानि उठाई।**

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) के रीको भूमि निस्तारण नियमों, 1979 का नियम 3(डब्ल्यू) में भूमि का आवंटन इस शर्त पर किये जाने का प्रावधान है कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पूर्व भूमि के विक्रय की अनुमति नहीं दी जायेगी। कम्पनी ने श्रीराम केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड (श्रीराम केबिल्स) को एक ''तार व केबिल के निर्माण'' की इकाई लगाने हेतु 25 प्रतिशत विकास शुल्क जमा करने पर औद्योगिक क्षेत्र पथरेड़ी में नियम 3(डब्ल्यू) के अन्तर्गत 28000 वर्गमीटर भूमि ₹ 6.35 करोड़ में आवंटित की (28 नवम्बर 2007)। आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार श्रीराम केबिल्स को शेष 75 प्रतिशत विकास शुल्क 60 दिनों के भीतर जमा करना था, निर्माण गतिविधि छः माह के भीतर एवं उत्पादन गतिविधियाँ अगले 18 माह में प्रारम्भ करनी आवश्यक थी। साथ ही, उत्पादन प्रारम्भ होने से पूर्व खाली भूखण्ड का हस्तान्तरण अनुमत्य नहीं था एवं नियमों व शर्तों की अनुपालना करने में विफल रहने पर, आवंटन स्वतः ही निरस्त मान लिया जाना था तथा जमा राशि जब्त कर ली जानी थी।

हमने पाया (मई 2013) कि श्रीराम केबिल्स ने आवंटन के उपर्युक्त वर्णित नियमों व शर्तों में से किसी का पालन नहीं किया था। विकास शुल्क के पेटे शेष ₹ 4.76 करोड़ का भुगतान 60 दिनों की समय सीमा के भीतर नहीं किया गया था। कम्पनी ने भी विलम्ब से (1 अगस्त 2008) नोटिस जारी किया जिसके प्रत्युत्तर (18 अगस्त 2008) में श्रीराम केबिल्स ने किश्तों में भुगतान करने हेतु गणना पत्रक की मांग की। कम्पनी ने 31 दिसम्बर 2009 को समाप्त होने वाली छः त्रैमासिक किश्तों में भुगतान हेतु अनुमति दी (17 सितम्बर 2008) लेकिन यह भुगतान नहीं की गई थी। आवंटन के नियमों व शर्तों की अवहेलना हेतु एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) भी जारी किया गया (23 दिसम्बर 2008), जो भी अनुत्तरित रहा था। बाद में, श्रीराम केबिल्स ने 29 जून 2009 को चार किश्तें तथा दो किश्तें ब्याज व अन्य देयताओं सहित 2 जुलाई 2009 को जमा करवायीं। तदनुसार, पट्टा विलेख 7 जुलाई 2009 को निष्पादित किया गया था।

हमने आगे पाया कि कम्पनी ने श्रीराम केबिल्स को उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ नहीं करने हेतु

एससीएन जारी किया (1 नवम्बर 2011) एवं इसके प्रत्युत्तर में यह सूचित किया गया था (18 नवम्बर 2011) कि भूमि का बेचान लोरोम इण्डिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एलआईसीपीएल) को ₹ 8.90 करोड़ के प्रतिफल में पूर्व में ही किया जा चुका था। दिनांक 7 अगस्त 2009 के विक्रय प्रलेख की एक प्रति, इस निवेदन के साथ कि भूमि एलआईसीपीएल के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी जाये, भी प्रस्तुत की गई थी।

कम्पनी की आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) ने एलआईसीपीएल को भूमि के हस्तांतरण की अनुमति एक विशेष मामले के रूप में दी (जून 2012)। आईडीसी ने एलआईसीपीएल से प्रचलित विकास शुल्क के 18.75 प्रतिशत की दर से केवल ₹ 1.62 करोड़ का हस्तान्तरण शुल्क वसूल किये जाने का भी निर्णय किया एवं इसके निवेदन पर ₹ 43.09 लाख के लागू प्रतिधारित प्रभार परित्याग किये गये थे। साथ ही, हस्तान्तरण प्रभार संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की प्रार्थना (14 अगस्त 2012) पर घटा कर (जनवरी 2013) 15 प्रतिशत कर दिये गये थे।

हमने देखा कि श्रीराम केबिल्स का प्रस्तावित व्यवसाय प्रारम्भ करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि एलआईसीपीएल को भूमि के विक्रय किये जाने तक निर्माण गतिविधि भी प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसने नियम 3(डब्ल्यू) के तहत आवंटन के मूलभूत उद्देश्य को विफल किया क्योंकि प्राथमिकता पर आवंटन, समाचार पत्रों में रूचि की अभिव्यक्ति आंमत्रित किये जाने की आवश्यकता को हटाने के पश्चात् किया गया था। कम्पनी ने नियमों के अनुरूप कार्यवाही नहीं करके श्रीराम केबिल्स को आवंटन की शर्तों के उल्लंघन में भूमि के विक्रय करने का अवसर प्रदान किया। श्रीराम केबिल्स ने सभी किश्तों का पूर्ण भुगतान, केवल जब इसने एलआईसीपीएल को 8 मई 2009 को भूमि बेच दी थी, जिसका भुगतान इसे 8 मई 2009 से 7 जुलाई 2009 के दौरान तीन[24] किश्तों में ₹ 6.69 करोड़ एवं शेष ₹ 2.21 करोड़ का भुगतान 7 अगस्त 2009 को प्राप्त हुआ, दिनांक 29 जून 2009 (₹ 4.30 करोड़)/2 जुलाई 2009 (₹ 1.37 करोड़) को किया।

श्रीराम केबिल्स ने ₹ 1.66 करोड़[25] के निवेश पर ₹ 1.57 करोड़[26] का लाभ अर्जन किया था क्योंकि इसने कम्पनी को शेष राशि का भुगतान एलआईसीपीएल से विक्रय के करार एवं विक्रय प्रतिफल के पेटे एलआईसीपीएल से दो किश्तों की प्राप्ति के पश्चात् किया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 43.09 लाख के प्रतिधारित प्रभारों का परित्याग एवं एलआईसीपीएल को हस्तांतरण शुल्क के भुगतान में 3.75 प्रतिशत (₹ 32.32 लाख) की छूट प्रदान करने का आईडीसी का निर्णय निर्दिष्ट नियमों के विपरीत था।

कम्पनी ने श्रीराम केबिल्स का आवंटन निरस्त करने के बजाय नियमों की अवहेलना में विक्रय का नियमन कर अदेय लाभ दिया था। यदि कम्पनी एलआईसीपीएल को विकास शुल्क की

---

24 ₹ 2.28 करोड़ 8 मई 2009, ₹ 2.20 करोड़ 18 जून 2009 एवं ₹ 2.21 करोड़ 7 जुलाई 2009 को।

25 नवम्बर 2007 में आवंटन प्राप्त करने हेतु श्री राम केबिल्स द्वारा जमा कराये गये ₹ 16604085 में 25 प्रतिशत विकास शुल्क के पेटे ₹ 15786000 एवं भूमि हेतु सुरक्षा राशि, आर्थिक किराया इत्यादि के पेटे ₹ 728085 ।

26 श्रीराम केबिल्स द्वारा एलआईसीपीएल से प्राप्त ₹ 8.90 करोड़ का विक्रय प्रतिफल घटायें श्रीराम केबिल्स द्वारा कम्पनी को भुगतान की गई ₹ 7.33 करोड़ की राशि।

प्रचलित दरों से नया आवंटन करती तो यह ₹ 1.02 करोड़[27] का राजस्व अर्जित कर सकती थी।

सरकार एवं प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

### *4.9 नियमों की अवहेलना में बड़े आकार के भूखण्ड पर छूट*

**आईडीसी ने औद्योगिक क्षेत्र की संतृप्तता के नियम की अवहेलना में बड़े आकार के भूखण्ड हेतु ₹ 48.83 लाख की छूट अनुमत्य की।**

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) की आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) ने एक औद्योगिक क्षेत्र को 'संतृप्त' वर्गीकृत किये जाने के मानदण्डों को संशोधित किया (5 सितम्बर 2011)। नये मानदण्डों के अनुसार, एक औद्योगिक क्षेत्र, 90 प्रतिशत की विद्यमान उच्चतम सीमा के बजाए विक्रय योग्य औद्योगिक भूमि के एक बार 80 प्रतिशत से अधिक आवंटित किये जाने पर, संतृप्त था। इसी बैठक में (5 सितम्बर 2011) आईडीसी ने हारमोनी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड (एचएसपीएल) को रामचन्द्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र में एक डिजाइन संस्थान स्थापित किये जाने हेतु रीको भूमि निस्तारण नियमों, 1979 (निस्तारण नियमों) के नियम 3(ई) के तहत 11000 वर्ग मीटर भूमि के प्राथमिक आवंटन हेतु अनुमति का भी अनुमोदन किया। अनुमोदन नियम 3(ई) के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान कर एक विशेष मामला मानते हुए किया गया था क्योंकि प्रस्तावित डिजाइन संस्थान, शैक्षणिक संस्थान की परिभाषा में नहीं आता था।

हमने पाया (नवम्बर 2012) कि आईडीसी ने एचएसपीएल को भूमि नियम 3(ई)(iii)[28] के तहत बड़े आकार के भूखण्ड हेतु छूट अनुमत्य किये बिना शैक्षणिक संस्थान हेतु प्रचलित दर पर आवंटित की। तदनुसार, इकाई कार्यालय ने एचएसपीएल को ₹ 4500 प्रति वर्गमीटर की दर पर 10851 वर्गमीटर भूमि हेतु आवंटन पत्र जारी किया (23 सितम्बर 2011)। तत्पश्चात्, एचएसपीएल ने नियम 3(ई)(iii) के तहत दर में छूट अनुमत्य किये जाने हेतु एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (5 नवम्बर 2011)। इकाई कार्यालय द्वारा निवेदन की जाँच की गयी थी जिसने अवलोकित किया कि एचएसपीएल छूट के लिए योग्य नहीं था क्योंकि संतृप्तता के संशोधित मानकों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र संतृप्त[29] था। इसके बजाए मुख्य कार्यालय ने आईडीसी को इस तर्क पर छूट अनुमत्य किये जाने हेतु अनुशंसा की कि एचएसपीएल ने क्षेत्र को संतृप्त घोषित किये जाने से पूर्व भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था (16 अगस्त 2011)। आईडीसी ने अनुशंसा को अनुमोदित किया (9 मार्च 2012) एवं एचएसपीएल को ₹ 48.83 लाख की छूट अनुमत्य की गई थी।

---

27 [प्रचलित दर (₹ 3100 प्रति वर्गमीटर) घटायें आवंटन दर (₹ 2268 प्रति वर्गमीटर)] X भूखण्ड का क्षेत्र (27800 वर्ग मीटर) घटायें एलआईसीपीएल से वसूल किया गया हस्तान्तरण शुल्क (₹ 12927000)।

28 नियम 3(ई)(iii) में प्रावधान है कि असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटित किये जाने पर विकास प्रभार की दर में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। 10000 वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटन हेतु छूट में 0.5 प्रतिशत प्रति 1000 वर्गमीटर से वृद्धि की जायेगी, जो कि दोनों गणनाओं को साथ रखते हुये अधिकतम छूट 25 प्रतिशत की होगी।

29 एचएसपीएल को आवंटन किये जाते समय विक्रय योग्य क्षेत्र का 86 प्रतिशत पूर्व में ही आवंटित किया जा चुका था।

हमने देखा कि प्रबन्धन का तर्क सही नहीं था क्योंकि एचएसपीएल को उक्त भूमि के आवंटन की दिनांक को नये संशोधित संतृप्तता मापदण्ड प्रभाव में आ गये थे। चूंकि संतृप्तता मानकों को संशोधित करने एवं आवंटन का निर्णय उसी दिन (5 सितम्बर 2011) किया गया था, आईडीसी को नियम 3(ई)(iii) के तहत छूट उसी तिथि को अनुमत्य की जानी चाहिये थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया था। पूर्व में ही संतृप्त औद्योगिक क्षेत्र में छूट अनुमत्य किये जाने का आईडीसी का निर्णय इसके स्वयं के निर्णय एवं नियम 3(ई)(iii) के उल्लंघन में था अलावा इसके कम्पनी को ₹ 48.83 लाख के राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि आईडीसी ऐसे मामलों में निर्णय लेने हेतु संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत सक्षम समिति थी। आईडीसी ने आवंटन की दर में 10 प्रतिशत छूट का अनुमोदन पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् किया। तथ्य यही रहा कि आईडीसी ने अपने स्वयं के निर्णय एवं निस्तारण नियमों के नियम 3(ई)(iii) के उल्लंघन में छूट अनुमत्य की।

### *4.10 न्यायालय के बाहर समझौते द्वारा बोलीदाताओं को अदेय लाभ*

**कम्पनी ने न्यायालय के बाहर समझौता कर बोलीदाताओं को अदेय लाभ पहुंचाया एवं जून 2011 में जुलाई 2009 की दरों पर भूखण्ड आवंटित किये जाने से न्यूनतम ₹ 30.42 लाख की हानि वहन की।**

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) की भीलवाड़ा इकाई ने संवर्धन केन्द्र, हमीरगढ़ के 18 अन्य भूखण्डों के अलावा भूखण्ड संख्या ई-492 (3308 वर्गमीटर) एवं ई-493 (3233 वर्गमीटर) की नीलामी हेतु सूचना प्रकाशित की (28 मई 2009)। नीलामी सूचना के नियमों एवं शर्तों में स्पष्ट रूप से दिया गया था कि कम्पनी किसी नीलामी अथवा बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार रखती है। नीलामी के दौरान दो बोलीदाताओं[30] ने आरक्षित मूल्य ₹ 400 प्रति वर्गमीटर के समक्ष भूखण्ड संख्या ई-492 एवं ई-493 हेतु क्रमशः ₹ 406 प्रति वर्गमीटर एवं ₹ 408 प्रति वर्गमीटर की उच्चतम बोली लगाई। तथापि, नीलामी समिति ने बोलियों को निरस्त करने एवं विज्ञापन के पश्चात् पुनः नीलामी की अनुशंसा की। प्रबन्ध निदेशक ने भी बोलियों को, सलाहकार (इन्फ्रा) की अनुशंसा पर इन्हें अप्रतिस्पर्द्धात्मक मानते हुए अस्वीकृत किया एवं नीलामी हेतु नयी सूचना जारी करने के लिए निर्देशित किया (6 जुलाई 2009)। सूचना जारी की गयी थी (15 जुलाई 2009) एवं 30 जुलाई 2009 को पुनः नीलामी की गई थी जिसमें भूखण्ड संख्या ई-492 एवं ई-493 हेतु क्रमशः ₹ 825 प्रति वर्गमीटर एवं ₹ 1100 प्रति वर्गमीटर की उच्चतम बोलियाँ प्राप्त हुई थी। तथापि, बोलीदाताओं[31] ने नीलामी के नियमों व शर्तों के अनुसार राशि जमा नहीं की थी एवं इस प्रकार बोलियाँ निरस्त की गई थी।

हमने पाया (नवम्बर 2012) कि दिनांक 28 मई 2009 की नीलामी के दोनों उच्चतम बोलीदाताओं ने भूखण्ड संख्या ई-492 एवं ई-493 की पुनः नीलामी से कम्पनी को रोकने हेतु सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) के न्यायालय, भीलवाड़ा में एक सिविल वाद दायर किया (20 जुलाई 2009)। तथापि, याचिकायें 30 जुलाई 2009 को खारिज कर दी गई थी। खारिज किये जाने पर, उन्होंने न्यायालय जिला न्यायाधीश, भीलवाड़ा के समक्ष एक याचिका दायर की

30 भूखण्ड संख्या ई-492 हेतु श्रीमती संगीता बापना एवं भूखण्ड संख्या ई- 493 हेतु श्री सारांश बापना।

31 भूखण्ड संख्या ई-492 हेतु विमला देवी बापना एवं भूखण्ड संख्या ई- 493 हेतु विमला देवी।

(12 अगस्त 2009) जहाँ कम्पनी को याचिका के निस्तारण तक कोई नीलामी कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था (23 सितम्बर 2009)। कम्पनी ने जिला न्यायाधीश के आदेश के विरूद्व एक याचिका जोधपुर उच्च न्यायालय में दायर की (जनवरी/फरवरी 2010)।

जबकि याचिका उच्च न्यायालय के सामने लम्बित थी दोनों आवेदकों ने उनकी दिनांक 28 मई 2009 की बोली के अनुसार उन्हें भूखण्डों का आवंटन किये जाने हेतु विचार करने के लिए अभ्यावेदन, मामले वापस लिये जाने के प्रस्ताव के साथ, प्रस्तुत किया (15 नवम्बर 2010)। मामला राज्य स्तरीय निस्तारण समिति[32] (एसएलएससी) के समक्ष भूखण्ड संख्या ई-492 एवं ई-493 को ₹ 755 प्रति वर्गमीटर व ₹ 672.66 प्रति वर्गमीटर (30 जुलाई 2009 को की गई द्वित्तीय नीलामी के दौरान प्राप्त आवंटन की औसत दर) पर आवंटित किये जाने पर विचार करने के लिए रखा गया था (24 मार्च 2011)। तथापि, एसएलएससी ने आवेदकों के निवेदन, इस आधार पर कि उनकी बोलियाँ अप्रतिस्पर्द्धात्मक पायी गई थी एवं नीलामी समिति द्वारा खारिज कर दी गई थी, अस्वीकृत कर दिये। तत्पश्चात् मामले पर उद्योग मंत्री द्वारा आवेदकों एवं कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के साथ विचार-विमर्श किया गया (11 अप्रैल 2011) था जहाँ उन्हें एसएलएससी द्वारा आवेदकों के निवेदन अस्वीकृत किये जाने के बारे अवगत कराया गया था। यह भी अवगत कराया गया था कि नीलामी समिति ने 28 मई 2009 को हुई नीलामी में आरक्षित दर के ऊपर बोलियों को निरस्त किये जाने का कोई कारण उल्लेखित नहीं किया था। मंत्री ने निर्देश दिये (11 अप्रैल 2011) कि मामले को पुनः एसएलएससी के समक्ष रखा जाये।

उद्योग मंत्री के साथ हुई बैठक के पश्चात्, प्रबन्धन ने मामले की पुनः जाँच की एवं पाया कि बोलियों को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं था क्योंकि नीलामी समिति द्वारा कोई कारण नहीं बताये गये थे। इसने मामले को आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया। आईडीसी ने दोनों भूखण्डों को ₹ 805 प्रति वर्गमीटर की दर, ई-492 एवं ई-493 भूखण्डों हेतु नीलामी दर के अलावा 30 जुलाई 2009 को हुई नीलामी में प्राप्त हुई उच्चतम दर, से आवंटन किये जाने का निर्णय लिया (9 जून 2011)।

हमने देखा कि कम्पनी, उद्योग मंत्री को बोलियाँ निरस्त किये जाने के सही कारणों के बारे में अवगत कराये जाने में विफल रही क्योंकि स्वयं प्रबन्ध निदेशक ने अप्रतिस्पर्द्धात्मक बोलियों के कारण नीलामी समिति एवं सलाहकार (इन्फ्रा) की अनुशंसाओं पर पुनः नीलामी अनुमोदित की थी। साथ ही, मामले को एसएलएससी के समक्ष रखने के बजाए, मामला (9 जून 2011) आईडीसी के समक्ष, इस अनुशंसा के साथ कि निरस्तीकरण न्यायोचित नहीं था, रखा गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने इस तथ्य को, कि आवेदकों ने 30 जुलाई 2009 को हुई नीलामी की बोली प्रक्रिया को प्रभावित किया था, पूर्णरूप से अनदेखा किया। बोली प्रपत्र के सत्यापन से यह स्पष्ट था कि व्यक्ति, जिसने भूखण्ड ई-492 हेतु उच्चतम बोली प्रस्तुत की, वही था जिसने 28 मई 2009 को आवेदकों की ओर से उच्चतम बोली प्रस्तुत की थी। आवेदकों ने, इस प्रकार, उच्चतम बोली प्रस्तुत कर एवं राशि जमा नहीं करवाकर बोली प्रक्रिया को अव्यवस्थित कर दिया जिससे कि 28 मई 2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों पर आवंटन प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार, कम्पनी ने न्यायालय के बाहर समझौता कर बोलीकर्ताओं को अदेय लाभ पहुंचाया एवं जून 2011 में भूखण्डों का आवंटन जुलाई 2009 की दरों पर कर न्यूनतम ₹ 30.42

32 एसएलएससी में आयुक्त उद्योग, आयुक्त (निवेश व एनआरआई), अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (आरएफसी), प्रधान सचिव खान व पेट्रोलियम एवं प्रबन्ध निदेशक (रीको) थे।

लाख[33] की हानि वहन की, जबकि मार्च 2011 के दौरान की गई नीलामियों में प्राप्त दरें ₹ 877 प्रति वर्गमीटर एवं ₹ 2351 प्रतिवर्गमीटर के मध्य थी। चूंकि कम्पनी नीलामी या बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार रखती थी एवं उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, भूमि विवाद को निस्तारित करने की इसकी कार्यवाही संदेहास्पद थी।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2013) कि आईडीसी ने मामले का न्यायालय के बाहर समाधान करने का निर्णय कम्पनी के हित में लिया। तथापि, तथ्य यही रहा कि आईडीसी ने न्यायालय के बाहर समाधान करते समय प्रचलित दरों को ध्यान में नहीं रखा था।

## सांविधिक निगम

## राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

### *4.11 परिहार्य अतिरिक्त व्यय*

**करार के नियमों व शर्तों तथा नीति के अनुसार पुनः आदेश प्रदान किये जाने में विफलता के कारण निगम को ₹ 68.78 लाख का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।**

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) की बस बॉडी निर्माण नीति में प्रावधान है कि बस के ढाँचों के निर्माण हेतु निविदायें निश्चित मात्रा के लिये आमंत्रित की जानी चाहिये एवं दरें 12 माह हेतु अथवा निर्दिष्ट मात्रा हेतु, जो भी बाद में हो, के लिये वैध होनी चाहिये। निगम ने (अ) 840 सुपर द्रुतगामी ब्ल्यू लाईन बसों के चेसिस के प्रापण हेतु एवं (ब) प्रापण किये गये चेसिस पर बस के ढाँचों के निर्माण हेतु निविदाऐं आमंत्रित की (मई 2011)। बस के ढाँचों के निर्माण हेतु वित्तीय बोलियाँ 4 अगस्त 2011 को खोली गई थी जिसमें 'एशिया बॉडी बिल्डर्स एवं मैन्युफैक्चर्स, जयपुर' (एबीबीएम) का, कर को शामिल नहीं करते हुये ₹ 356500 प्रति बस की दर पर प्रतिमाह 30 बसों के ढाँचे निर्माण की क्षमता का, प्रस्ताव न्यूनतम पाया गया था। बस बॉडी निर्माण समिति (बीबीसी) ने एबीबीएम को सुपर द्रुतगामी ब्ल्यू लाईन बसों के ढाँचे निर्माण की वर्धित क्षमता प्रस्तुत करने का निवेदन किया (10 अगस्त 2011)। न्यूनतम दर अन्य बोलीदाताओं को भी प्रस्तावित की गई थी परन्तु किसी भी बोलीदाता ने स्वीकार नहीं की। तथापि, एबीबीएम ने अपनी क्षमता 11 चक्रों (महीनों) में 420 संशोधित की (16 अगस्त 2011)।

हमने पाया (मई 2013) कि बीबीसी ने एबीबीएम को इसकी संशोधित क्षमता के अनुसार आदेश प्रदान किये जाने के बजाए केवल 240 बसों के ढाँचों के लिये आदेश प्रदान करने एवं शेष 600 बस ढाँचों हेतु अल्पकालिक निविदा आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया (30 अगस्त 2011)। 240 बस ढाँचों के निर्माण हेतु एबीबीएम के साथ एक करार 12 सितम्बर 2011 को निष्पादित किया गया था एवं कार्यादेश 15 सितम्बर 2011 को दिया गया था। करार के नियमों व शर्तों में प्रावधान था कि करार को हस्ताक्षरित किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान आदेशित मात्रा के अलावा बस के ढाँचों के निर्माण हेतु पुनः आदेश उन्हीं दरों पर सदैव प्रदान

33 7, 9 एवं 11 मार्च 2011 को हुई नीलामी के दौरान नीलामी की भारित औसत दर के अनुसार।

किया जा सकेगा एवं एबीबीएम इसे स्वीकार करने के लिये बाध्य थी अन्यथा धरोहर राशि एवं सुरक्षा जमा जब्त कर ली जायेगी। एबीबीएम ने 240 बस ढाँचों की आदेशित मात्रा का निर्माण निगम द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार सितम्बर 2012 तक कर दिया था।

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से विदित हुआ कि निगम ने अपने निर्णय के अनुसार 600 बस-ढाँचों की शेष संख्या हेतु अल्पकालिक निविदायें आमंत्रित की (सितम्बर 2011)। न्यूनतम उद्धृत दर, एबीबीएम से प्रतिमाह पाँच बस-ढाँचे हेतु ₹ 3.70 लाख प्रति बस थी। तथापि, बीबीसी ने ₹ 3.65 लाख प्रति बस की दर (पिछली निविदा का द्वित्तीय न्यूनतम) का प्रति-प्रस्ताव दिया (10 अक्टूबर 2011) जिसे चार फर्मों ने स्वीकार कर लिया था एवं 127 बस ढाँचों हेतु कार्यादेश दिसम्बर 2011 में प्रदान किये गये थे। साथ ही, बीबीसी ने अगस्त 2012 में तीन[34] फर्मों पर 60 बस-ढाँचे, सितम्बर 2012 में एबीबीएम पर 80 बस-ढाँचों एवं पाँच अन्य फर्मों पर 86 बस-ढाँचों हेतु ₹ 3.65 लाख प्रति बस की दर पर आदेश प्रदान किये। निगम ने शेष 247 बस-ढाँचों हेतु निविदायें पुनः आमंत्रित की (सितम्बर 2012) एवं छः[35] फर्मों पर ₹ 4.15 लाख प्रति बस वेट सहित आदेश प्रदान किये गये थे (मार्च 2013)।

हमने देखा कि बीबीसी का एबीबीएम पर 420 बसों की क्षमता के समक्ष केवल 240 बस ढाँचों हेतु आदेश प्रदान किये जाने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि प्रस्तावित दर इस आदेश से पूर्व की दर (₹ 4.22 लाख प्रति बस), जिस पर बस ढाँचे निर्माण किये गये थे, की तुलना में कम थी। साथ ही, सितम्बर 2011 में अल्पकालिक निविदायें आमंत्रित किये जाने का निर्णय सही नहीं था क्योंकि निगम एबीबीएम को पुनः आदेश प्रदान कर सकती थी एवं एबीबीएम करार के हस्ताक्षरित होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर पुनः आदेश को स्वीकार करने के लिये बाध्य था। इसके अतिरिक्त, यदि 420 बसों के लिये आदेश प्रदान किया जाता, एबीबीएम को यह ₹ 356500 प्रति बस की दर पर निगम द्वारा दी गई सारणी के दौरान पूर्ण करना था।

इस प्रकार, करार के नियमों व शर्तों एवं नीति के अनुसार एबीबीएम पर 240 और अधिक बस ढाँचों हेतु पुनः आदेश प्रदान किये जाने में विफलता के कारण निगम को ₹ 68.78 लाख[36] का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था।

सरकार/प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त/जुलाई 2013) एवं कहा कि बस ढाँचों की शेष 600 संख्या हेतु अल्पकालिक निविदा आमंत्रित किये जाने का निर्णय, कम निर्माण दरों की प्रत्याशा में लिया गया था।

---

34 प्रत्येक 20 चेसिस हेतु महिन्द्रा कोचेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर, भारत मेटल फेब्रिकेटर्स, जयपुर एवं श्याम कोच इंजीनियर्स, जयपुर को 7 अगस्त 2012 को आदेश प्रदान किये गये थे।

35 महिन्द्रा कोचेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर (96 बस ढाँचे), एशिया बॉडी बिल्डर्स एंड मैन्युफैक्चर्स जयपुर (48 बस ढाँचे), श्याम कोच इंजीनियर्स, जयपुर (48 बस ढाँचे), भारत मेटल फेब्रिकेटर्स, जयपुर (45 बस ढाँचे) एवं अमेरिया ब्रदर्स, जयपुर (10 बस ढाँचे)।

36 (₹ 365000-₹ 356500) X 80 बस एवं (₹ 395238 कर को छोड़ते हुये -₹ 356500) X 160 बस।

## सामान्य अनुच्छेद

### *4.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही*

#### *बकाया प्रत्युत्तर*

**4.12.1** सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में संधारित अभिलेखों एवं लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा प्रक्रिया, जो कि प्रारम्भिक जाँच से शुरू होती है, के चरमोत्कर्ष को भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन प्रदर्शित करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रबंधन से शीघ्र एवं उचित प्रत्युत्तर प्राप्त किया जावे। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) तथा कहा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुतिकरण के तीन माह के अन्दर प्रतिवेदन में शामिल सभी अनुच्छेदों एवं समीक्षाओं पर लिए गए अथवा प्रस्तावित सुधारात्मक/उपचारात्मक उपायों को दर्शाते हुए उत्तर लेखापरीक्षा से संवीक्षा के पश्चात् प्रस्तुत करें।

वर्ष 2011-12 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधान मण्डल में मार्च 2013 में प्रस्तुत किया गया था एवं सरकार से 14 ड्राफ्ट अनुच्छेदों तथा दो निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई थी।

#### *निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रत्युत्तर*

**4.12.2** लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये लेखापरीक्षा आक्षेपों को, जिनका हाथों-हाथ निपटारा नहीं हो सका, निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार के संबंधित विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के प्रमुखों को भेजा जाता है। पीएसयूज के प्रमुखों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर प्रत्युत्तर चार सप्ताह की अवधि में संबंधित विभागों के प्रमुख के माध्यम से भिजवाना होता है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित लेखापरीक्षा आक्षेपों की निगरानी में सहायता के लिए एक अर्द्धवार्षिकी विवरणी संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को भेजी जाती है।

मार्च 2013 तक जारी तथा सितम्बर 2013 के अन्त में बकाया 26 पीएसयूज से संबंधित 658 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 2597 अनुच्छेदों में ₹ 1705.98 करोड़ की राशि सन्निहित थी। यहाँ तक कि चार पीएसयूज से संबंधित 33 अनुच्छेदों के प्रारम्भिक प्रत्युत्तर भी प्राप्त नहीं हुए। **अनुबन्ध-18** में 30 सितम्बर 2013 को निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा आक्षेपों की विभागवार स्थिति दी गई है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु 48 पीएसयूज में से 14 में अंकेक्षण समिति का गठन कर दिया गया था। अवधि 2012-13 में अंकेक्षण समिति की 39 बैठकें हुई जिनमें बकाया अनुच्छेदों की स्थिति पर प्रत्युत्तर एवं उत्तरदायित्वता सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन/प्रशासनिक विभागों से विचार-विमर्श किया गया।

इसी प्रकार, पीएसयूज के काम-काज पर ड्राफ्ट अनुच्छेद एवं निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा प्रेषित कर छः सप्ताह की अवधि में तथ्य एवं आंकड़े सत्यापित करने तथा टिप्पणी प्रेषित करने का आग्रह किया जाता है। तथापि, हमने पाया कि चार ड्राफ्ट अनुच्छेदों एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षा, जिनको विभिन्न विभागों को अगस्त 2013 से अक्टूबर 2013 के मध्य भेजा गया, के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2013), जैसा कि **अनुबन्ध-19** में दर्शाया गया है।

सरकार से यह सुनिश्चित करने की संस्तुति की जाती है कि (अ) निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेदों पर निर्धारित समय सारणी के अनुरूप प्रत्युत्तर देने में विफल रहने वाले कार्मिकों पर कार्यवाही की व्यवस्था हो; (ब) हानि/अग्रिम बकाया/अधिक भुगतान को एक निर्धारित समय में वसूल करने की कार्यवाही की जावे एवं (स) लेखा परीक्षा आक्षेपों के प्रत्युत्तर देने की प्रणाली का पुनर्गठन किया जावे।

**(एस. आलोक)**
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

**(शशि कान्त शर्मा)**
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक